<u>फैक्स / ई मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा</u>
सं .105/17/विविध/प्रशा/र.सं.
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय
रक्षा संपदा भवन, उलान बाटर मार्ग
दिल्ली छावनी – 110010

दिनांक 12 मई, 2017

सेवा में

प्रधान निदेशक,
रक्षा संपदा,
रक्षा मंत्रालय,
मध्य/दक्षिण/पश्चिम/उत्तर/पूर्व/दक्षिण-पश्चिम कमान
लखनऊ/पुणे/चंडीगढ़/जम्मू/कोलकाता/जयपुर

<u>विषय: छावनी परिषदों सहित रक्षा संपदा संगठन में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती</u>

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और इस महानिदेशालय द्वारा भर्ती करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के विषय में कई अनुदेश जारी किए गए हैं। ये अनुदेश पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं और भर्तियाँ करने वाले कार्यालय के लिए भर्ती संबंधी नवीनतम अनुदेशों के बारे में जागरूक होना तथा इनका सतर्कतापूर्वक अनुपालन करना आवश्यक है ताकि बाद में पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरर्थक और शून्य घोषित किए जाने और कानूनी जटिलताओं का सामना करने की स्थिति से बचा जा सके।

2. इन नवीनतम अनुदेशों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:-

क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने का. ज्ञा. सं. 39020/01/2013-स्था(बी)–भाग दिनांक 29 दिसंबर, 2015 द्वारा **"भारत सरकार में कनिष्ठ स्तर के पदों पर साक्षात्कार पर रोक-सचिवों की समिति की सिफारिश"** विषय पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए हैं:-

- **i)** सभी समूह 'सी', समूह 'डी' **(**जिन्हें अब समूह 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पदों और 'बी' श्रेणी के गैर-राजपत्रित पदों और ऐसे सभी समतुल्य पदों में भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।
- **ii)** ऐसे पदों में रिक्तियों को भरने के लिए सभी विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में साक्षात्कार के बिना होंगे।
- **iii)** ऐसे मामलों में भी कोई साक्षात्कार नहीं किया जाएगा**,** जहां पूर्व में केवल साक्षात्कार प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाता था।
- **iv)** कौशल परीक्षण या शारीरिक परीक्षण साक्षात्कार से अलग है और वे जारी रखे जाएं हालांकि**,** ये परीक्षण केवल अहर्क प्रकृति के होंगे। ऐसे परीक्षणों का अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने का. ज्ञा. सं. 14024/1/2016-स्था(डी) दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा **"रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के**

संबंध में" विषय पर स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय / केंद्रीय रोजगार कार्यालय को देने के अतिरिक्त इनका अखिल भारतीय आधार पर विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित एम्प्लोयमेंट न्यूज़ / रोजगार समाचार में विज्ञापन दिए जाने चाहिए। इस तरह के भर्ती नोटिस को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। इसके अतिरिक्त रिक्तियों का विज्ञापन श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाए।

ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने का. ज्ञा. सं. फा. सं.14017/15/2015–स्था(आरआर) दिनांक 11 जनवरी 2016 द्वारा **"सीधी भर्ती के अंतर्गत विज्ञापन की तारीख से परीक्षा / साक्षात्कार करने की समय-सीमा के संबंध में अनुदेश के संबंध में"** विषय पर कहा है कि रिक्ति के विज्ञापन की तारीख और परीक्षा या साक्षात्कार की तारीख के बीच लंबे अंतराल (जिससे इस अवधि के दौरान पात्रता प्राप्त करने वाले नए उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाता और आवेदकों के लिए अनिश्चितता का माहौल भी उत्पन्न होता है) से बचने के लिए विज्ञापन से आरंभ होकर लिखित परीक्षा आयोजित करने या साक्षात्कार के आयोजन सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।

3. इस महानिदेशालय ने **"रक्षा सम्पदा संगठन में पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को सरल तथा कारगर और पारदर्शी बनाना"** विषय पर अपने पत्र सं.142/5/ प्रशा/ र. सं. / सीआर / 09 दिनांक 23 अगस्त, 2011, **"छावनी परिषदों के कर्मचारियों के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश"** विषय पर अपने पत्र सं. 25 / विविध / सी / र. सं. / 2004 दिनांक 09 फरवरी, 2016 और अन्य संबन्धित पत्रों द्वारा विभिन्न पदों में भर्ती के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। उपर पैरा **2** में उल्लिखित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुरूप बनाने के लिए इन अनुदेशों में आवश्यक सीमा तक संशोधन किया जा सकता है।

4. निदेशालयों को भर्ती के लिए कार्रवाई करते समय सभी अनुदेशों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और तदनुसार संभावित उम्मीदवारों को पहले विज्ञापन में ही एक स्पष्ट संकेत दिया जाना चाहिए। सभी रक्षा सम्पदा अधिकारियों और मुख्य अधिशासी अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों, संशोधन सहित, का अनुपालन करने की परामर्श दिया जाता है।

5. इसे महानिदेशक,रक्षा सम्पदा का अनुमोदन प्राप्त है।

पी. डेनियल

(पी डेनियल)
अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता)
कृते महानिदेशक, रक्षा संपदा

<u>**प्रतिलिपि**</u>:
निदेशक, राष्ट्रीय रक्षा सम्पदा प्रबंधन संस्थान
रक्षा संपदा महानिदेशालय (राजभाषा अनुभाग)
डीएमएस /वेबसाइट / ए यू एण्ड आर सी / गार्ड / फ्लोट फ़ाइल